न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/17 **दायरा दिनांक : 20.01.2025**

उनवान

जगदीश पुत्र श्री भंवर लाल, जाति–धाकड, निवासी ग्राम जय नगर, तहसील अन्ता, जिला बारां राज० .... अपीलांट

बनाम

1. राजेश नागर पुत्री खेमराज उर्फ खेमलाल पत्नी ललित, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम जय नगर, हाल निवासी–ग्राम आकोदिया, तहसील किशनगंज, जिला बारां राज०
2. रामप्रसाद पुत्र किशनलाल, जाति–धाकड, निवासी ग्राम बूढनी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज०
3. रघुनाथ पुत्र किशनलाल, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम बूढनी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज०
4. हेमराज पुत्र किशनलाल, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम बूढनी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज०
5. छोटूलाल पुत्र किशनलाल, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम बूढनी, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज०
6. जगन्नाथी पुत्री किशनलाल पत्नी श्री शंकरलाल, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम इकलेरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड राज०
7. रघुनाथी पुत्री किशनलाल पत्नी प्रहलाद, जाति–धाकड, निवासी–ग्राम अडूसा, तहसील सांगोद, जिला कोटा राज०
8. भंवर लाल पुत्र गोबरीलाल, जाति–धाकड, निवासी–जय नगर, तहसील अन्ता, जिला बारां राज०
9. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री अतुल वशिष्ठ अभिभाषक अपीलांट की ओर से
श्री ललित नागर अभिभाषक रेस्पोडेंट कम 1 व 8 की ओर से,
शेष रेस्पोडेंटगण अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 15.05.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 126/2024 निर्णय दिनांक 19.12.2024 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता में खाता सं० 33 खसरा नं0 646 रकबा 1.97 हेक्टेयर तथा खाता सं0 34 में खसरा नं0 676 रकबा 3.31 हेक्टेयर एवं ग्राम जयनगर, तहसील अन्ता में खाता सं0 28 में खसरा नं0 108 रकबा 0.28 हेक्टेयर, व खाता सं० 30 में खसरा नं0 58 रकबा 0.36 हेक्टेयर भूमि स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अन्ता ने अपने निर्णय दिनांक 19.12.2024 से प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण 1 ता 9 को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय कानूनन विधि विरूद्ध, न्याय संचिका के विपरीत व रूहेदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना अपीलान्ट की तामील किये व बिना अपीलान्ट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा कार्यवाही करते हुये रेस्पोडेन्ट क्रम–1 का केस प्रथम दृष्टया मानकर और सुविधा का सन्तुलन भी रेस्पोडेन्ट क्रम–1 के पक्ष में मानकर अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने में कानूनी त्रुटि की है इसलिये दिया गया निर्णय काबिल निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि अपीलान्ट व खेमलाल आपस में सगे भाई हैं तथा अपीलान्ट व खेमलाल के एक बहन घीसी बाई है, वर्तमान में घीसी बाई की मृत्यु हो जाने से उसके कायम मुकामान रेस्पोडेन्ट क्रम–2 लगायत 7 हैं। मृतक खेमलाल के कब्जे काश्त की आराजी खसरा नं0–58 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नं0–108 रकबा 0.28 हेक्टेयर वाके–ग्राम जयनगर, तहसील अन्ता, जिला बारां में स्थित है तथा खसरा नं0–676 रकबा 3.31 हेक्टेयर, वाके–ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज० में स्थित है जिसका एक मात्र खातेदार मृतक खेमलाल नागर था, खेमलाल के लाओलाद फोत हो जाने के बाद उसके विधिक वारिसान के रूप में उसके खाते की आराजी खसरा नं0–58 रकबा 0.36 हेक्टेयर, खसरा नं0–108 रकबा 0.28 हेक्टेयर वाके–ग्राम जयनगर, तहसील अन्ता, जिला बारां एवं खसरा नं0–676 रकबा 3.31 हेक्टेयर, वाके–ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां राज० का फोती इन्तकाल न्यायालय तहसीलदार अन्ता के आदेश दिनांक–02.12.2024 के अनुसार अपीलान्ट व घीसी बाई के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ, इसी प्रकार खसरा नं0–640 रकबा 1.97 हेक्टेयर वाके–ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता, जिला बारां में स्थित है जिसमें भी मृतक खेमलाल, अपीलान्ट व उसकी बहन व अन्य हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज रिकार्ड था। मृतक खेमलाल की मृत्यु उपरान्त उक्त आराजी में निहित उसके हिस्से में निहित हिस्से का फोती इंतकाल तहसीलदार अन्ता, जिला बारां के निर्णय दिनांक–02.12.2024 से अपीलान्ट व उसकी सगी बहन घीसी बाई के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुआ है। मृतक खेमलाल के अन्य विधिक वारिसान ना होने की पुष्टि कार्यालय ग्राम जयनगर के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र द्वारा की गई है। अपीलान्ट को बिना साक्ष्य व सुनवाई किया जाकर जो एक तरफा निर्णय योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया है वह काबिल निरस्तनीय है।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर किये बिना कि रेस्पोडेन्ट कम 1 राजेश नागर खेमलाल की जाईन्दा पुत्री नहीं है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसको खेमलाल की पुत्री मानकर जो निर्णय दिया गया है वह काबिल निरस्तनीय है। जबकि वास्तविकता यह है कि राजेश नागर रेस्पोडेन्ट कम–1 की माता श्रीमती रूकमणी बाई की शादी नर्बदा शंकर उर्फ नरपत नागर, निवासी–लक्ष्मीपुरा के साथ हुई थी और रेस्पोडेन्ट कम–1 उसकी ही पुत्री है जबकि खेमलाल, श्रीमती रूकमणी भाई का मौसेरा भाई था और श्रीमती रूकमणी बाई ने फर्जी व कूटरचित तरीके से खेमलाल नागर को खेमराज नागर बनाकर स्वयं के आधार कार्ड में पति के रूप में गलत रूप से इन्द्राज करवा दिया जबकि पूर्व में बनाये गये परिवार पहचान संख्या में रूकमणी बाई द्वारा खेमलाल नागर को स्वयं का भाई दर्शाया गया है। राजस्व रिकार्ड में भी खेमराज नागर नामक कोई व्यक्ति नहीं है। राजस्व रिकार्ड में भी खेमलाल नागर दर्ज रिकार्ड है जो अपीलान्ट का सगा भाई है। इस कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है वह निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक–19.12.2024 को निरस्त फरमाया जाये।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। बहस के दौरान कथन किया कि राजेश नागर ने अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया था। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 19.12.2024 को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। खेमलाल उर्फ खेमराज पुत्र बताते हुए दावा लेकर आयी है। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में एक्सपार्टी अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कर दी। खेमलाल का भाई जगदीश अपीलांट बहन घीसी बाई (मृतक) कायममुमान रेस्पोडेंट कम 2 ता 7 वारिसान हैं। खेमलाल व वादिनी की माता रूकमणी मौसेरे भाई बहन हैं। अतःवादिनी बेटी न होकर भानेजी है। जनआधार और आधार कार्ड में रूकमणी के पति का नाम नाथूलाल दर्ज है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर हमें सुनवायी हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाये। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 753, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1417 की नजीरे उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने दौराने बहस कथन किया कि हमने राजेश नागर के सम्पूर्ण दस्तावेज वारिस होने के अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न किये है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण का सम्पूर्ण दस्तावेज के आधार पर निर्णय पारित है। अतः अपील खारिज की जावे।

हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलंग्न नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता की खाता संख्या 33 में खेमलाल पुत्र भंवरलाल का 1/9 हिस्सा

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दर्ज रिकॉर्ड है। नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील अन्ता की खाता संख्या 34, ग्राम जयनगर तहसील अन्ता की खाता संख्या 28 की आराजी खेमलाल पुत्र भंवरलाल के खाते दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त सम्पूर्ण आराजी नामान्तरकरण संख्या 759 दिनांक 04.12.2024 न्यायालय के आदेश से खेमलाल पुत्र भंवरलाल के स्थान पर घीसी बाई पुत्री भंवरलाल एवं जगदीश प्रसाद पुत्र भंवरलाल के खाते दर्ज होना नकल जमाबंदी सम्वत 2073–2076 जारी दिनांक 19.12.2024 के अवलोकन से स्पष्ट है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा प्रस्तुत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदारों को सुनवायी हेतु नोटिस जारी किये बिना ही एक तरफा अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करते समय इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि प्रार्थिया रेस्पोडेंट कम 1 द्वारा स्वयं को खातेदार खेमलाल पुत्र भंवरलाल की एक मात्र वारिस साबित करने हेतु जो दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये हैं उन सभी दस्तावेजों में प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 के पिता का नाम खेमराज दर्ज है, जबकि विवादित आराजी के पूर्व खातेदार का नाम खेमलाल दर्ज है। प्रार्थिया रेस्पोडेंट नं. 1 ने स्वयं को खेमलाल की पुत्री साबित करने हेतु खेमलाल द्वारा खेमलाल उर्फ खेमराज के नाम से निष्पादित इकरार बाबत शपथ पत्र की फोटो प्रति पेश की है, जो साक्ष्य में विधिवत रूप से ग्राह्य नहीं है। इस फोटो प्रति के आधार पर रिकॉर्डेड खातेदार को सुनवायी का अवसर दिये बिना ही उनके विरूद्ध अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा पारित करते हुए उन्हें उनके खातेदारी अधिकारों से वंचित करना न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं माना जा सकता। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 1417, आर.आर.टी. 2021 (2) पेज 753 के अवलोकन के पश्चात हम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 को खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.12.2024 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवायी एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण का धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत एक माह में अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 21.07.2025 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15/05/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा